



टीक
जिला कलेक्टर

प्रमाणित प्रति।
 10. वर्ष 2025-26 में आम बीजा का खर्च हेतु स्वीकृत राहत/सुआवजा आदेश की प्रति।
 9. संबंधित डकका पटवारी एवं निरदावर (राजस्व निरीक्षक) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की सर्व/विशेष निरदावरी की पूर्ण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
 8. आम बीजा का खर्च। तहसील मालपुरा में वर्ष 2025-26 में की गई फसल खराबा आदेश की प्रमाणित प्रति।
 7. प्रकरणों के निस्तारण की वर्तमान स्थिति तथा यदि निस्तारण हो चुका हो तो अंतिम गई हो तो उसकी वर्तमान स्थिति एवं संबंधित आदेश की प्रतिलिपि।
 6. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय दंडात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।
 जांच रिपोर्ट प्रारम्भ से वर्तमान दिनांक तक की समस्त की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई।
 5. प्रत्येक परिवार के संबंध में लोकार्थक सचिवालय को आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, अनुस्मारक पत्र आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 आंतरिक: टिप्पणियाँ, अग्रणी पत्र, संबंधित अधिकारियों को जारी निर्देश, प्रतिवेदन, 4. प्रत्येक परिवार के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही (नोटशीट कार्यवाही) की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 3. लोकार्थक सचिवालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.02.2026 के संबंध में की गई विषयवस्तु से संबंधित है की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 सुरक्षित बनाए रखने तथा उक्त जल का सिंचाई कार्य में उपयोग नहीं किए जाने संबंधी सूचि में किए गए अवैध खनन, खनन गड्ढे (फिट) में भरे वर्षाजल को पेशियों के लिए दिनांक 13.02.2026, जो आम बीजा का खर्च में स्थित चरगाह (गोचर) सूचि सिंचाईवक 2. लोकार्थक परिवार सं. 11 (294)/2024/2952 में लोकार्थक सचिवालय द्वारा जारी पत्र यद्वारा सिंच के संबंध में प्रेषित किया गया है की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 पत्र दिनांक 03.02.2026, जो नाथब तहसीलदार कैलाश चंद मीणा, हिन्नी एवं पटवारी 1. लोकार्थक सचिवालय परिवार सं. 11(9)/2023 में लोकार्थक सचिवालय द्वारा जारी निम्न वर्णित सूचना जारी गई:-
 आति0 जिला कलेक्टर टीक को आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकाारी एवं प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकाार

दिनांक 02.06.2026

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकाार अधिनियम 2005

राज्य लोक सूचना अधिकाारी एवं आति0 जिला कलेक्टर टीक — प्रत्यर्था

बनाम

—अपीलार्थी

मालपुरा जिला टीक

श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्रीनारायण शर्मा निवासी आम बीजा का खर्च तहसील

44/2026

प्रकरण संख्या

याचालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टीक



एवं निम्नलिखित कर्तव्य टोक
प्रशासकीय (टीना जर्नी)

10

- कलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकांशी एवं प्रमांशी अधिकांशी सतकता अर्जमान कलेक्ट टोक एवं लोक सूचना अधिकांशी प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना मालपरा को निर्दिष्टित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित अधिकांशी सतकता अर्जमान कलेक्ट टोक एवं लोक सूचना अधिकांशी एवं तहसीलदार मालपरा को निर्दिष्टित किया जाकर लोक सूचना अधिकांशी एवं प्रमांशी आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकांशी है।
- उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाएँ गइं। जबकि सूचना का अधिकांशी अधिनियम 2005 में सूचना तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित कलेक्ट टोक एवं लोक सूचना अधिकांशी एवं तहसीलदार मालपरा ने आज दिनांक रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकांशी एवं प्रमांशी अधिकांशी सतकता अर्जमान कमांक 1138-1139 दिनांक 19.05.2026 व 1262 दिनांक 27.05.2026 को प्रेषित कर अर्जमान कलेक्ट टोक एवं लोक सूचना अधिकांशी एवं तहसीलदार मालपरा को पत्र है। अपील प्रमाण की छायापति लोक सूचना अधिकांशी एवं प्रमांशी अधिकांशी सतकता करत हुए पत्र कमांक 178-180 दिनांक 27.04.2026 से अपीलान्त को संचित किया गया तहसीलदार मालपरा से होने से उनके पत्र कमांक 178 दिनांक 27.04.2026 से अन्तरित अन्तरित की गई एवं बिन्दु संख्या 8 ता. 15 का संक्षेप लोक सूचना अधिकांशी एवं अर्जमान कलेक्ट टोक से होने से उनके पत्र कमांक 177 दिनांक 27.02.2026 से के बिन्दु संख्या 1 ता. 7 का संक्षेप लोक सूचना अधिकांशी एवं प्रमांशी अधिकांशी सतकता 157 दिनांक 11.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलान्त द्वारा वांछित सूचना नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकांशी एवं आति0 जिना कलेक्ट टोक ने पत्र कमांक रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सूचनावांछित हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित दिनांक 16.04.2026, 836 दिनांक 24.04.2026 व 979 दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित कर राज्य लोक सूचना अधिकांशी एवं आति0 जिना कलेक्ट टोक को पत्र कमांक 731 विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रमाण की छायापति अपीलार्थी का निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के 15. संबंधित बीमा कंपनी को प्रेषित प्रीमियम की सूचना एवं पॉलिसी विवरण की प्रति। विवरण (राशि, तिथि सहित) की प्रमाणित प्रति।
14. प्रार्थी के KCC खाते से वर्ष 2025-26 में काटी गई फसल बीमा प्रीमियम राशि का में उपलब्ध कारण/टिप्पणी/नोटशीट की प्रमाणित प्रति।
13. यदि प्रार्थी को राहत राशि स्वीकृत नहीं की गई हो तो उसके संबंध में अभिलेखी संबंधित आदेश/प्रतिष्ठ की प्रमाणित प्रति।
12. प्रार्थी सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा को स्वीकृत/अस्वीकृत राशि से 11. ग्राम स्तर पर लामान्वित किसानों की सूची (नाम, स्वीकृत राशि, अनुमान तिथि सहित) की प्रमाणित प्रति।